**भारत सरकार**

**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं॰ 13**

**दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## सभी परिवारों हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किया जाना

**13. श्री मो॰ नदीमुल हक़:**

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी परिवारों को एक निश्चित समय–सीमा में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने को प्रतिबद्ध है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रतिशत शहरी और ग्रामीण परिवार स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त करते हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त करने वाले शहरी और ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित वर्ष–वार जानकारी क्या है?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)**

(क) से (ग) जी हाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति करने के लिए 2011-2022 की अवधि हेतु ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए एक कार्यनीति योजना तैयार की है। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति से कवर करने का लक्ष्य है।

जैसा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है, भारत सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख आबादी वाले 500 शहरों/नगरों और देश भर में अधिसूचित नगरपालिकाओं वाले शहरों की अन्य श्रेणियों की आधारभूत अवसंरचना विकास हेतु 25.06.2015 को (एएमआरयूटी) अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एण्ड अरबन ट्रांस्फोर्मेशन की शुरूआत की है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य, मिशन शहरों में जल आपूर्ति सेवाओं का वैश्विक कवरेज करना है। अमृत (एएमआरयूटी) के अंतर्गत, केन्द्र केवल, यथा अनुमोदित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत

(एसएएपी) राज्य वार्षिक कार्य योजना को ही अनुमोदित करता है। संबंधित राज्य, परियोजनाओं की पहचान, निष्पादन, कार्यान्वयन, बोली, निविदा के सौंपे जाने आदि के लिए शक्ति संपन्न है। मंत्रालय ने वर्ष 2015-16, 2016-17 हेतु सभी राज्यों के एसएएपी और 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूर्ण मिशन अवधि (2017-20) का अनुमोदन किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण बसावटों की दृष्टि से डाटा का रख-रखाव करता है न कि ग्रामीण परिवारों की दृष्टि से। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2017 के अनुसार 76.78% ग्रामीण बसावटें पूर्णतः कवर की गई हैं (अर्थात् प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 40 लीटर से अधिक की दर से स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर रही है) और 18.89% ग्रामीण बसावटें आंशिक रूप से कवर की गई हैं। (अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से कम की दर पर स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ पेयजल सुविधाओं से कवर की गई ग्रामीण बसावट में % बढ़त का विवरण इस प्रकार हैः-

| वर्ष | पूर्णतः कवर बसावटों के प्रतिशत में कुल बढ़त |
|---|---|
| 2014-15 | 0.48 % (73.66 % से 74.14 %) |
| 2015-16 | 1.54 % (74.14 % से 75.68 %) |
| 2016-17 | 1.10 % (75.68 % से 76.78 %) |

**अनुलग्नक**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**एएमआरयूटी के अंतर्गत शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित जल आपूर्ति परियोजनाओं का विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2015-16<br>लागत (रुपए करोड़ में) | 2016-17<br>लागत (रुपए करोड़ में) | तीसरा और अंतिम एसएएपी<br>लागत (रुपए करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 646.29 | 488.23 | 863.14 |
| 2 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप | 3.1 | 3.51 | |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 8 | |
| 4 | असम | 151.48 | 213.2 | |
| 5 | बिहार | 647.34 | 627.82 | 909.09 |
| 6 | चण्डीगढ़ | 13.66 | 17.55 | 1.5 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 440.59 | 400.53 | 865.8 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 3.33 | 3.51 | |
| 9 | दमन एवं दीव | 0 | 0 | |
| 10 | दिल्ली | 113.42 | 101.12 | |
| 11 | गोवा | 0.36 | 0 | |
| 12 | गुजरात | 233.65 | 561 | 906 |
| 13 | हरियाणा | 246.57 | 166.59 | |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 41.65 | 25.27 | 31.23 |
| 15 | जम्मू एवं कश्मीर | 5 | 25.6 | 34.49 |
| 16 | झारखंड | 190 | 236.5 | |
| 17 | कर्नाटक | 551.54 | 726.44 | 821.45 |
| 18 | केरल | 235.76 | 354.81 | |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.66 | 1.02 | |
| 20 | मध्य प्रदेश | 582.33 | 678.76 | 593.92 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1724.31 | 1466.39 | 579 |
| 22 | मणिपुर | 50.15 | 58.5 | |
| 23 | मेघालय | 0 | 0 | |
| 24 | मिजोरम | 4.06 | 15.5 | 32.12 |
| 25 | नागालैंड | 4 | 4 | |
| 26 | ओडिशा | 399.38 | 487 | 507.68 |
| 27 | पुडुचेरी | 12.5 | 16.56 | |
| 28 | पंजाब | 401.46 | 233.96 | |
| 29 | राजस्थान | 344 | 252.05 | 411.31 |
| 30 | सिक्किम | 0 | 2 | |
| 31 | तमिलनाडु | 3147.04 | 1780.93 | |
| 32 | तेलंगाना | 380.17 | 501.46 | |
| 33 | त्रिपुरा | 33.2 | 43.1 | |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1519.19 | 2017.42 | |
| 35 | उत्तराखंड | 99 | 92.18 | |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 1077.24 | 1004 | |
| | **कुल** | **13307.42** | **12614.51** | **6556.73** |